64

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1595—एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—04—2012 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 190/2010—11/अपील

———

1— रामकुमार शर्मा पुत्र हरविलास शर्मा
निवासी सिमराव तहसील व जिला
भिण्ड म0प्र0
2— विसनू अरेले ना0 वा0 अरविन्द अरेले
सरपरस्त बाबा रामेश्वर दयाल अरेले
3— देववृत्त अरेले पुत्र रवीन्द्र अरेले ना0 वा0
सरपस्त बाबा रामेश्वर दयाल अरेले
4— विद्यावती पत्नी रामेश्वर दयाल अरेले
5— रामेश्वर प्रसाद पुत्र जयराम प्रसाद
6— रामकुमार अरेले पुत्र रामेश्वर दयाल अरेले
7— राजेन्द्र कुमार अरेले
8— रवीन्द्र अरेले पुत्रगण रामेश्वर दयाल अरेले
निवासी अरेले नगर पुरानी बस्ती भिण्ड म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

रामसेवा शर्मा दत्तक पुत्र हरनारायण शर्मा
निवासी सिमराव तह0 व जिला भिण्ड म0प्र0

——— अनावेदक

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-1-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–04–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि तहसील भिण्ड के ग्राम सिमराव में स्थित विवादित भूमि खाता कमांक 48 एवं 49 के 1/2 भाग के अभिलिखित भूमिस्वामी ग्याप्रसाद पुत्र जोधाराम अभिलिखित भूमिस्वामी ग्याप्रसाद के लावल्द फौत हो जाने के कारण विवादित भूमि पर नामान्तरण वसीयतनामा के आधार पर कराने के लिये आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत सिमराव को पेश किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत सिमराव द्वारा ठहराव एवं प्रस्ताव कमांक 16 आदेश दिनांक 22–08–96 से विवादित भूमि पर आावेदक रामकुमार के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत सिमराव द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22.8.96 से परिवेदित होकर अनावेदक रामसेवा द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष दिनांक 20.4.05 को पेश की गई। अपील पेश करने में हुये विलंब को मांफ करने संबंधी अवधि विधान की धारा 05 के अन्तर्गत आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया था। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 35/04–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 9.4.07 से सरपंच ग्राम पंचायत सिमराव द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22.8.96 निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.4.2007 से दुखित होकर आवेदक द्वारा निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालय में पेश की जो प्रकरण कमांक 78/06–07/ निगरानी पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 7.2. 2011 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई थी कि निगरानीकर्ता द्वारा आयुक्त चंबल संभाग को अपील पेश करना चाहिये थी, क्यों कि प्रश्नाधीन आदेश पुनरीक्षण की श्रेणी में न आते हुये अपील की श्रेणी में आता था । निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की गई। आवेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांम 190/2010–11/अपील में दर्ज कर उसमें आदेश पारित कर दिनांक 13–4–12 को अपील निरस्त की गई जिससे से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक रामकुमार शर्मा अरेले निवासी सिमराव अपने नाम की समस्त सिमराव की आराजी का विकय रजिस्टर्ड

डोक्यूमेन्ट द्वारा रामेश्वरदयाल अरेले, विद्यावती अरेले,रामकुमार अरेले, राजेन्द्र अरेले रविन्द्र अरेले विष्णु अरेले देवदत्त अरेले के हक में निष्पादित किया है जिसके आधार पर प्रार्थीगण के हक में नामान्तरण का एक मात्र अधिकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में बताया गया है कि अनावेदक रामसेवा के नाम कोई भूमि सिमराव में नहीं है वह अपने नाम की समस्त भूमि का वैनामा रविन्द्र अरेले के हक में कर चुके हैं। जिसका नामान्तरण रविन्द्र अरेले केता के नाम से हो चुका है। ऐसी स्थिति में रामसेवा दत्तक पुत्र हरनारायण शर्मा निवासी सिमराव को वादोक्त भूमि के संबंध में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। बयनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की है। उनके द्वारा आगे बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय वादोक्त भूमि के संबंध में असत्य एवं अवैध है। रजिस्ट्रीशुदा भूमि का आवेदकगण को नामांतरण कराने का वैद्यानिक अधिकार है। आवेदकगण ने अपनी लिखित बहसी में अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा अपनी लिखित बहस में लेख किया है कि बिन्दु कमांक–1 आधारहीन होने से स्वीकार योगय नहीं है विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 28.8.1986 को ग्राम पंचायत के ठहराव कमांक 16 के कोई नामांतरण आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि खाता कमांक 47, 48 ग्राम सिमराव में स्थित होकर मृतक खातेदार ग्याप्रसाद पुत्र जोधाराम ीूमि स्वामी थे जो निगरानीकर्ता कमांक 1 रामकुमार शर्मा व मुझ अनावेदक के चचेरे बाबा जी थे, मृतक खातेदार लाऔलाद फौत होने से परिवार वारिसान के आधार पर नामांतरण पंजी कमांक–2 दिनांक 30.8.86 से नामांतरण प्रमाणित किया गया था परंतु खाता कमांक 47 पर अमलकर दिया । खाता कमांक 48 का अमल पटवारी खसरा खतौनी में निगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा जानबूझकर न कराते हुये मृतक की ओर से फर्जी वसीयत तैयार कर विवादित भूमि वसीयत के आधार पर पंचायत ठहराव कमांक 16 दिनांक 22–8–1996 में अपने पक्ष में नामांतरण करवा लिया था। उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.4.07 द्वारा ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव क0 16 दिनांक 22.8.86 को निरस्त कर दिया गया था। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आगे अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि बिन्दु कमांक 2 एवं 3 आवेदक के असत्य एवं स्वीकार योग्य नहीं हैं। आवेदक को खातेदार ग्याप्रसाद से प्राप्त न होकर खातेदार दाउ गजाधर से प्राप्त हुयी थी, उक्त भूमि का विकय किया गया है न ही

विवादित भूमि का 1/4 विक्रय किया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के सभी बिन्दु निराधार बताते हुये असत्य एवं निराधार होने से निरस्त करने का निवेदन किया है। अनावेदक द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त किया जावे एवं एस0 डी0 ओ0 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग का आदेश स्थित रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के लेखी बहस का अध्ययन किया तथा उनके द्वारा मौखिक तर्क श्रवण किये। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी ग्याप्रसाद पुत्र जोधाराम थे। ग्याप्रसाद की मृत्यु हो जाने के बाद आवेदक रामकुमार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरणकराने बावत आवेदन पत्र सरपंच ग्रामपंचायत सिमराव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे सरपंच ग्रामपंचायत सिमराव द्वारा स्वीकार करते हुये वसीयतनामा के आधार पर मृतक ग्याप्रसााद के स्थान पर वसीयतग्रहीता रामकुमार शर्मा के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। यह सर्वमान्य सिद्वांत है कि ग्रामपंचायतों को वसीयत के आधार पर नामांतरण करने की अधिकारिता नहीं है, फिर भी सरपंच ग्रामपंचायत सिमराव द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया है। प्रथमदृष्ट्या ही किया गया नामांतरण शून्य है। ऐसे शून्य आदेश आदेश के विरूद्व मियाद की कोई सीमा नहीं है। किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 9.4.07 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था जो अंतिम स्वरूप का आदेश था जिसके विरूद्व अपील का प्रावधान है लेकिन कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 7.2.2011 को निरस्त की गई है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा संपूर्ण विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड एवं कलेक्टर जिला भिण्ड का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण मान0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं" अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण कमांक 35/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 9.4.07 एवं कलेक्टर जिला भिण्ड का प्रकरण कमांक 78/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 7.2.11 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 190/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 13–04–2012 स्थिर रखे जाते है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर